

मच्छरदानी, ओडोमॉस, दवाई, प्रसाधन सामग्री।

आवश्यक साहित्य - स्काउटर फार ब्याज, ए.पी.आर.ओ. -2, टोली विधि,

स्काउट मास्टर की ओर सहायता, प्रवेश से तृतीय सोपन तक किताबे, बेसिक/एडवांस के प्रमाण-पत्र की छाया प्रति साथ लायें।

8. पात्रता

- वे सभी स्काउटर भाग ले सकते हैं जो एडवांस कोर्स पूर्ण किये हो जो दल का संचालक कर रहे हैं। जिन्हें प्रश्न प्राप्त हुए हैं। अथवा आवेदन किया या करना चाहते हैं। वे सभी सक्रीय स्काउटर इसमें सम्मिलित हो सकते हैं।

9. कोटा

- प्रत्येक जिले से 10 की प्रतिभागिता कराना अनिवार्य है।

उपरोक्त शिविर हेतु आपके अधीनस्त जिले से संबंधित स्काउटर को पूर्ण तैयारी के साथ कार्यमुक्त करें। कि एक दिन पूर्व रात्री तक पहुँच सकें। भाग लेने वाले प्रतिभागियों कि सूची एवं संलग्न आवेदन पत्र 30/8/2012 तक अनिवार्यतः भेजे।

अपने जिले में अधिकतम गुणात्मक विकास हेतु अधिकतम प्रतिभागियों को सम्मिलित करावें।



राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
भोपाल

पृ.क्रमांक/3453/रा.मु./प्रशि/ स्टेडी सर्कल/2012
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

भोपाल, दिनांक 06-08-2012

- 1 आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 2 आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल।
- 3 राज्य आयुक्त (स्काउट/गाइड) राज्य मुख्यालय, भोपाल।
- 4 संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय
- 5 संभागीय उपायुक्त (आदिवासी विकास विभाग संभागीय कार्यालय
- 6 विशेष कर्तव्यस्त अधिकारी राज्य मुख्यालय, भोपाल।
- 7 परियोजना संचालक राज्य मुख्यालय, भोपाल।
- 8 जिला संगठनायुक्त (स्काउट/गाइड)/जिला प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट) जिला
- की ओर भेजकर लेख है कि आप अपने जिले से योग्य स्काउटर को सम्मिलित करावें।
9. वार्डन, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधी नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ।



राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.
भोपाल